पत्रांक–1प्रा0आ0–13/2016...3266...........आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर/भोजपुर/पटना/सारण/वैशाली/समस्तीपुर/लखीसराय/
मुंगेर/भागलपुर/बेगूसराय/खगड़िया एवं कटिहार।

पटना–15, दिनांक– 30/8/16

विषयः– **गैर सरकारी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/अन्य राज्य सरकारों/कॉरपोरेट सेक्टर/व्यक्तियों द्वारा राहत कार्यों में लिये जाने वाले सहयोग के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कृप्या बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 3.24 का स्मरण किया जाय, जिसमे बाढ़ आपदा के द्वारा गैर सरकारी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/अन्य राज्य सरकारों/कॉरपोरेट सेक्टर/व्यक्तियों द्वारा राहत कार्यों में लिये जाने वाले सहयोग के संबंध में उल्लेख किया गया है।

उनके द्वारा किये जाने वाले स्वेच्छिक सहयोग के लिए मार्गदर्शन निम्नानुसार होगा–

(i) यदि कोई व्यक्ति या संस्था बाढ़ पीडितों के सहायतार्थ राहत सामग्री या राशि देना चाहते है तो वे संबंधित जिला के रेड क्रॉस सोसाईटी अंर्तगत गठित जिला पदाधिकारी के बाढ़ राहत सहायता कोषांग में दे सकते है। प्राप्त राहत सामग्री जिला रेड क्रॉस सोसाईटी, के माध्यम से बाढ़ से प्रभावितों के बीच वितरित किया जायगा।

(ii) नगद राशि मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष में जमा कराई जाएगी।

(iii) सीधे जिला स्तर पर प्राप्त होनेवाली सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे।

(iv) उपरोक्तानुसार प्राप्त सामग्रियों का वितरण पंचायत/वार्ड स्तरीय राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की देखरेख में यथा संभव संबंधित एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। यदि एजेन्सी का प्रतिनिधि उपलब्ध न हो तो वितरण जिला प्रशासन के माध्यम से होगा।

विश्वासभाजन

30/8/16

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

E:\Soni 2016\Letter to Katihar.docx

ज्ञापांक 3266 / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 30/8/16

प्रतिलिपि– सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/8/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3266 / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 30/8/16

प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3266 / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 30/8/16

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3266. / आ०प्र०, पटना–15, दिनांक– 30/8/16

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/16

संयुक्त सचिव

E:\Soni 2016\Letter to Katihar.docx